निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 139/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रोहिताश पुत्र बस्तीराम जाति जाट निवासी प्लाट नम्बर 105, बाल विहार, जोशी मार्ग, कालवाड रोड, झोटवाडा जयपुर जरिये मुख्त्यारआम भौरी लाल पुत्र श्री जगन्नाथ जाति नायक, निवासी बहलोद, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री चिमनलाल मीणा आर॰ए॰एस॰ पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ।

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला, जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 43/2021 ब उनवानी भौरीलाल बनाम राजस्थान सरकार को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः—

1. प्रार्थी ओम नारायण शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 03.08.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 43/2021 ब उनवानी भौरीलाल बनाम राजस्थान सरकार दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।
3. बहस प्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी ने धारा 88 आर. टी. एक्ट के तहत अप्रार्थी संख्या 1 के न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है जो विगत कई वर्षो से लम्बित है और उसमें कई बार मौका रिपोर्ट आ चुकी है कई मर्तबा विविध प्रार्थना पत्र पेश हो चुके है ओर कई तरीखों से पत्रावली बहस में चल रही है। दिनांक 03.07.2023 को प्रकरण की बहस सुनी थी, इसके बावजूद भी कोई निर्णय पारित नहीं किया गया । इससे पूर्व भी कई बार बहस सुन चुके है।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

जब पीठासीन अधिकारी से पूछा गया तो पीठासीन अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि मुझ पर अप्रार्थी की तरफ से राजनैतिक दबाव है। इसलिए मै आपके पक्ष में फैसला नहीं करूंगा। पीठासीन अधिकारी से कई बार निर्णय सुनाने बाबत निवेदन किया गया था, किन्तु पत्रावली अपने व्यक्तिगत पजेशन मे लेकर बैठे है और कोई निर्णय नहीं सुनाते है। जब ट्रान्सफर एप्लीकेशन पेश करने के लिए कार्यालय एवं तत्पश्चात पीठासीन अधिकारी से नकल मांगी गई तो नकल उपलब्ध नहीं करवाई और कहा गया कि उसमें आर्डर शीट नहीं लिखी गई है, आपको नकल दिया जाना सम्भव नहीं है। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी ना तो आर्डशीट लिख रहे है और ना ही नकल उपलब्ध करावा रहे है और स्पष्ट कह चुके है कि प्रार्थिया के पक्ष में निर्णय नहीं देंगे । ऐसी स्थिति मे पीठासीन अधिकारी से पत्रावली का निस्तारण करवाया जाना न्याय की मंशा के विरूद्व है। कई माह से निर्णय पारित नहीं किया गया है, परन्तु प्रार्थिया को यह भी आशंका है कि पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक दबाव के चलते बेकडेट में निर्णय पारित कर सकते है। इसलिए पत्रावली को तुरन्त अन्यत्र न्यायालय में ट्रान्सफर किया जाना आवश्यक है।

5. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

6. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 43/2021 ब उनवानी भौरीलाल बनाम राजस्थान सरकार को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी को स्थानान्तरित किया जाता है।

8. उपखण्ड अधिकारी बस्सी को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जा कर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

9. निर्णय की प्रति अधिकारी, जमवारामगढ व उपखण्ड अधिकारी बस्सी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 03.08.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner